FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

नारणाराम बनाम खियाराम

किस्म मुकदमा 111, 128 [illegible] नं. 168/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/06/18	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र ~~/वाद/अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पेडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/19 को पेश हो।	
12/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईतला होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो।	
10/7/19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। मिसे शामिल पत्रावली किया जावे। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 4/9/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:22:06 IST
Reason: SelfAttested

2/9/19 प्रार्थी वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दि० 24/12/19 को पेश हो।

24.12.19. प्रार्थी वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली दि० 10/2/20 को पेश हो।

क्रमांक / वाद / 2020

10.2.20. प्रार्थी वकील उप०। वि प्रार्थीगण बावजूद सूचना अनु०। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 3.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए हैं, दोनो पक्षों के खेतों के बीच पुराने सेढ़े व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं। जिस कारण प्रार्थी को अपने सेढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है इस कारण वक्त होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेढ़ो को तोड़कर उसमें काश्त कर लेते हैं। इस कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य अक्सर तनाजा बना रहता है, जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की पक्की नेखमबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थीगण का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार कर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बंधित भू.अ.निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशन शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नक्शा 8 देकर हो, दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
10.2.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:22:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 103 दिनांकः– 12-2-2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नारणाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी देरोंमोंणी पोटलियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. लिछमणाराम पुत्र भुराराम वगैरा निवासी देरोंमोंणी पोटलियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 168 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा देरोंमोंणी पोटलियों की ढाणी पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 696, 697, 707, 761 रकबा 0.01, 20.18, 39.05, 44.14 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 104–108 दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नारणाराम
4. विप्रार्थीगण श्री लिछमणाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

विवेक व्यास
10.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:22:06 IST
Reason: SelfAttested